न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 37 / 2022 (2022 / 53)

अपीलान्ट्स

1. राणीदान पुत्र पन्नालाल, उम्र 40 वर्ष
2. रावलदेव पुत्र पन्नालाल, उम्र 35 वर्ष
3. भंवरीदेवी पुत्री स्व0 पन्नालाल, उम्र 60 वर्ष
4. बिदामी देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल, उम्र 50 वर्ष
5. संतोष पुत्री स्व0 पन्नालाल, उम्र 30 वर्ष

सभी जातियान सोनी, निवासीयान खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. देवीलाल पुत्र मुकनाराम सोनी
2. मोहनलाल पुत्र मुकनाराम सोनी
3. नरसिंगराम पुत्र मोतीलाल
4. मगराज पुत्र मोतीलाल
5. जसराज पुत्र मोतीलाल

समस्त जातियान सुनार, निवासीगण खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.01.2002 प्रकरण संख्या क्रमांक / भू0अ0 / दिनांक 10.01.2002 की पालना में उप तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रशासन गांवों के संघ अभियान में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने बाबत् आदेश पारित किया गया।

———

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री भूपतसिंह (अपीलान्ट्स)।
2. अधिवक्ता श्री अजीत दैय्या (रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 तक)
3. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह चांदावत (रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 05 तक)

—: आदेश :— दिनांक :— 29.11.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश दिनांक 10.01.2002 प्रकरण संख्या क्रमांक / भू0अ0 / दिनांक 10.01.2002 की पालना में उप तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रशासन गांवों के संघ अभियान में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने का आदेश पारित किया गया, के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 296, 374, 827, 862, 829, 829/1 कुल रकबा 189 बीघा 09 बिस्वा भूमि ग्राम खुडियाला में आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलान्ट्स का 1/4, रेस्पो0 संख्या 01 का 1/4, रेस्पो0 संख्या 2 का 1/4 तथा रेस्पो0 संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा था। उक्त भूमि में से खसरा संख्या 827/1, 829/1 तथा 827 कुल रकबा 28 बिघा 01 बिस्वा का विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के दौरान सभी चार सहखातेदारों/हिस्सेदारों ने बंटवाडा कर लिया। उक्त बंटवाड़ा होने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने राजस्व वाद संख्या 117/2017 में आदेश दिनांक 25.04.2016 को खसरा संख्या 827/1 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 829/1 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 827 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा कुल 28 बीघा 01 बिस्वा भूमि मिश्रीलाल भागीरथ पिसरान राणाराम जाति डाकोत के खाते में इन्द्राज करने का पारित किया। उक्त डिक्री के पश्चात् अपीलान्ट के खाते में से 14 बीघा 11 बिस्वा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के खाते में से खसरा संख्या 827/1 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा संख्या 829 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कम हो गई। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य परिवार के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के बारे में विवाद चल रहा था और इस विवाद के दौरान ही खसरा संख्या 827/1 व 829 की कुल रकबा 28 बीघा भूमि के संबंध में सभी चारों खातेदारों ने यह तय किया कि वर्तमान में इस कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर लेते है और अगर इस विवादित खसरान् में से कोई हिस्सा किसी खातेदार का निकल जायेगा तो उसकी पूर्ति शेष भूमि में से की जायेगी। तत्पश्चात् अपीलान्ट्स ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से अपनी कम हुई भूमि की क्षतिपूर्ति की मांग की तो उन्होनें मना कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री अजीत दैय्या तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्रसिंह चांदावत ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 21.11.2022 को सुनी गई।

अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम में बतलाया कि अपीलान्ट्स पूर्व की भांति कोविडकाल के पश्चात खेत में काश्त करने से पूर्व सूड करवा रहा था तब ग्राम खुडियाला के मिश्रीलाल, भागीरथ पुत्रगण राणाराम जाति डाकोत आए तथा बतलाया कि यह जमीन हमारी पुश्तैनी खातेदारी जमीन है तथा यह खेत मेरे बंट में आया हुआ है इस पर अपीलान्ट्स ने दिनांक 05.05.2022 को पटवारी हल्का से रिकॉर्ड की जानकारी ली तो पटवारी ने अपीलान्ट्स को बतलाया कि न्यायालय की डिक्री दिनांक 25.04.2016 के आधार पर आपकी खातेदारी भूमि मिश्रीलाल व भागीरथ के खाते में इन्द्राज हो चुकी है। उसी दिन अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपीलान्ट के खाते से कम हुई 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि को मौखिक इकरार के अनुसार सुपुर्द करने का कहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने इंकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट्स की हक व हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को हडप करने की गरज से गलत तथ्यों के आधार पर बंटवाड़ा करवाया जो काबिले खारिज योग्य है। अतः मामले की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.05.2022 को हुई और इल्म की तिथि से अपीलान्ट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमावें। बहस में समर्थन में न्यायिक निर्णय 2016 (2) RRT 1378 DAYA VS Board of Revenue पेश किया।

रेस्पो0 संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्तियाँ पेश कर बतलाया कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश के पारित होने की दिनांक से लगभग 20 वर्ष पश्चात अयुक्तियुक्त विलम्ब से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो म्याद के बिन्दु पर ही काबिल खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में वर्णित तथ्य निहायत ही मनगढ़त एवं बेबुनियाद है, क्योंकि अपीलार्थीगण ने अपील में बतलाया कि चारों पक्षकारों ने मिलकर लिखित रूप से आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जो सही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त बंटवाड़ा आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को बंटवाड़ा आदेश दिनांक 10.01.2002 से भलीभांति थी। इसके बावजूद अपीलार्थीगण ने उक्त बंटवाड़ा आदेश को 20 वर्ष के अत्यन्त विलम्ब से पेश की है जो परिसीमा के आधार पर ही खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अपीलार्थीगण का कथन है कि '' पटवारी हल्का के यह बताने पर कि, न्यायालय की डिक्री दिनांक 25.04.2016 के आधार पर राजस्व खाते में बदलाव हुआ है '' वह भी विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगण स्वयं उस प्रकरण में पक्षकार थे। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश व न्यायालय के डिक्री की जानकारी होने के पश्चात भी इतनी विलम्ब से अपील पेश है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। है। बहस के समर्थन में न्यायिक निर्णय '' वी0 एस0 मेडतिया (श्रीमती) जरिये विधिक वारिसान बनाम जोधाणा रियल एस्टेट डवलपमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 2017 (1) आरआरटी 117 तथा काशीराम बनाम मोडूराम व अन्य 2018–19 (Supp) आरआरटी 72 पेश किया। ''

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवाड़ा आदेश पारित किया उसके अनुसार पुश्तैनी भूमि में सभी चारो सहखातेदारों के बराबर–बराबर हिस्से थे परन्तु न्यायालय की डिक्री के पश्चात अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के खाते में से भूमि कम कर दी गई तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 2 के बंट में आई भूमि में कोई कमी नहीं हुई। अतः अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 3 से 5 पुश्तैनी भूमि में बराबर हक व हिस्सा होने से कम हुई भूमि पुनः पाने के विधिक अधिकारी है। इस बिनाय पर बंटवाडा आदेश खारिज योग्य है।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि रेस्पो0 संख्या 01 व 02 को मामले हाजा की पूर्ण जानकारी थी कि उक्त जमीन पूर्व में किस खातेदार की थी तथा रेस्पो0 को मालूम था कि विवादित खसरा संख्या 827 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या [illegible] रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 829 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा [illegible] रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उनके खाते से जा सकती है इस कारण अपीलान्ट्स को मुगालते में रखते हुए विवादित भूमि का बंटवाड़ा करते समय उक्त विवादित भूमि को अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 के बंट में दे दी। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अपीलान्ट्स के साथ धोखा किया। रेस्पो0 संख्या 01 व 02 आश्वासन देते रहे कि जो पुश्तैनी भूमि न्यायालय की डिक्री होने के पश्चात अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 3 से 5 की कम हुई है वे उस भूमि की पूर्ति स्वयं की भूमि में से कर देगें लेकिन उन्होनें ऐसा करने से इंकार कर दिया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का बंटवाड़ा आदेश निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

रेस्पो0 संख्या 01 से 03 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश अपीलार्थीगण एवं अन्य सभी सहखातेदारान् (प्रत्यर्थीगण) की आपसी सहमति के पश्चात तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित किया गया तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब कोई आदेश आपसी सहमति के पश्चात पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कानून द्वारा वर्जित है। बहस के समर्थन में न्यायिक निर्णय '' मूर्ति श्री ठाकुरजी (गोपालजी) महाराज व अन्य बनाम उदयसिंह व अन्य 2018 (2) आरआरटी 1341 पेश किया। ''

रेस्पो0 संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण ने अपील में कथन किया कि '' अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य परिवार के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के बारे में विवाद चल रहा था और इस विवाद के दौरान ही खसरा संख्या 827 / 1 व 829 की कुल रकबा 28 बीघा भूमि के संबंध में सभी चारों खातेदारों ने यह तय किया कि वर्तमान में इस कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर लेते है और अगर इस विवादित खसरान् में से कोई हिस्सा किसी खातेदार का निकल जायेगा तो उसकी पूर्ति शेष भूमि में से की जायेगी'' निहायत ही हास्यास्पद एवं अविश्वसनीय है, क्योंकि आपसी सहमति से पारित लिखित बंटवाड़े में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी गई। यदि सह खातेदारों की ऐसी कोई मंशा होती तो उसका उल्लेख लिखित बंटवाड़े में जरूर होता लेकिन उस लिखित बंटवाड़े में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील में वर्णित कथन मनगढ़त एवं बेबुनियाद हाने से उक्त अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

रेस्पो0 संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारान् की सहमति से पारित किया गया एवं सहमति के आधार पर पारित किये गये आदेश को सहमति देने वाले पक्षकारान् अपील में चुनौती नहीं दे सकते है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण सहित उपरोक्त भूमि के सभी सह खातेदार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए थे एवं सभी सहखातेदारों ने आपसी लिखित सहमति से बंटवाड़ा आदेश पारित करवाया। अतः अपील विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 संख्या 04 व 05 के अधिव[illegible]पनी बहस में बतलाया कि पुश्तैनी खातेदारी भूमि में हमारा व [illegible] 1 / 4 हिस्सा आया हुआ है जो

सही है। अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 03 से 05 की भूमि न्यायालय की डिक्री द्वारा कम कर दी गई चुंकि उक्त बंटवाड़ा आदेश पुश्तैनी जमीन का हुआ था तथा सभी सहखातेदारों को बराबर–बराबर भूमि मिलनी चाहिए थी लेकिन न्यायालय की डिक्री के माध्यम से अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 03 से 05 को जो पुश्तैनी भूमि बंटवाडे मे वो रेस्पो0 संख्या 01 व 02 की तुलना में कम होने के आधार पर अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट्स / प्रार्थीगणों ने प्रार्थना–पत्र में व्यक्त किया कि अपीलान्ट्स पूर्व की भांति कोविडकाल के पश्चात काश्त करने के लिए खेत में सूड करवा रहे थे तब ग्राम खुडियाला के मिश्रीलाल, भागीरथ पुत्रगण राणाराम जाति डाकोत खेत में आए और कहा कि यह जमीन हमारी पुश्तैनी खातेदारी जमीन है। अपीलान्ट्स ने दिनांक 05.05.2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स को बतलाया कि न्यायालय की डिक्री के आधार पर खातेदारी भूमि मिश्रीलाल व भागीरथ के खाते में इन्द्राज हो चुकी है। अतः अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2022 को हुई और इल्म की तिथि से अपीलान्ट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार करने की प्रार्थना की। रेस्पो0 संख्या 01 से 03 की ओर से बतलाया कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश के पारित होने की दिनांक से लगभग 20 वर्ष पश्चात अयुक्तियुक्त विलम्ब से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में चारों पक्षकारों ने मिलकर लिखित रूप से आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 का यह कथन मानने येाग्य है कि उक्त बंटवाड़ा आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को बंटवाड़ा आदेश दिनांक 10.01.2002 से भलीभांति थी। यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि सक्षम न्यायालय की जिस डिक्री के आधार पर अपीलार्थीगण की भूमि कम हुई उसमें अपीलार्थीगण स्वयं पक्षकार थे इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश व न्यायालय के डिक्री दिनांक 25.04.2016 की जानकारी होने के पश्चात भी इतनी विलम्ब से अपील पेश है। रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय '' वी0 एस0 मेडतिया (श्रीमती) जरिये विधिक वारिसान बनाम जोधाणा रियल एस्टेट डवलपमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 2017 (1) आरआरटी 117 में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 05 परिसीमन अपील पेश करने में 2344 दिनांक का विलम्ब मुव्वकिल कि निष्क्रियता ओर सुस्ती उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता, अन्यथा यह म्याद कानून को निरर्थक ओर फालतू बना देगा–विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं–प्रार्थना व अपील खारिज होने योग्य है तथा काशीराम बनाम मोडूराम व अन्य 2018–19 (Supp) आरआरटी 72 पेश किया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 05 राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के बावजूद 28 वर्ष बाद अपील पेश की, असामान्य विलम्ब उचित स्पष्टीकरण नहीं, न ही ठोस कारण दिये–निर्णित, अपील खारिज करने में राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।'' उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णय इस प्रकरण में ग्राह्य है। अपीलार्थीगण का अपील में मुख्य कथन रहा कि अपीलान्ट्स व रेस्पो0 पक्ष ने मिलकर लिखित रूप से आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया तथा उसके बाद डिक्री के द्वारा अपीलान्ट्स की जमीन कम हुई है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश को निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है।

उरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीपक्ष की अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested